वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या 305/XVII–2/08–बजट10(08)/2008

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त विकलांगजन,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 31 मई, 2008

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त कार्यालय हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 267/XXVII/(1)/2008 दिनांक 27 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष में विकलांगजन अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए विकलांगजन आयुक्त, कार्यालय हेतु रू 11,00,000/– (ग्यारह लाख मात्र) की धनराशि को उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य /लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।
7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
9. उपर्युक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।
11. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 73/XXVII(7)/2007/डी0डी0ओ0/2005 दिनांक 01.12.2005 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" में संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या : 60(NP)XXVII(3)2008–09 दिनांक 16 मई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 305/XVII–2/08–बजट10(08)/2008 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।

अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–11–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 11–विकलांगजन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	अवंटित धनराशि
01–वेतन	175
02–मजदूरी	100
03–महंगाई भत्ता	132
04–यात्रा व्यय	10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	10
06–अन्य भत्ते	20
07–मानदेय	20
08–कार्यालय व्यय	20
09–विद्युत देय	25
10–जलकर/जलप्रभार	10
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25
13–टेलीफोन पर व्यय	40
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	100
18–प्रकाशन	10
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
42–अन्य व्यय	10
44–प्रशिक्षण व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25
48–महंगाई वेतन	88
योग	1100

(रूपये ग्यारह लाख मात्र)

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।